

कार्यालय नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ)

पत्रांक :- 304 / न0पा0परि0-रा0 / बो0वै0का0कार्यवृत्त / 2026-27

दिनांक :- 27/5/2026

सेवा में,

आयुक्त महोदय
मेरठ मण्डल, मेरठ।

द्वारा :- जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

विषय :- नगर पालिका परिषद सरधना (मेरठ) की आहूत बोर्ड बैठक दिनांक 18.05.2026 के द्वारा पारित संकल्प की सूचना संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि पालिका पत्रांक 18 दिनांक 12.05.2026 द्वारा इस निकाय में दिनांक 18.05.2026 को पालिका सभागार में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरधना द्वारा बोर्ड बैठक आहूत करने के लिए एजेण्डा प्रेषित किया गया था (संलग्न आहूत बोर्ड बैठक का एजेण्डा सूचना)।

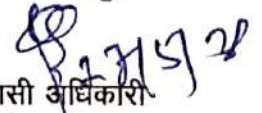
तदनुसार बोर्ड द्वारा दिनांक 18.05.2026 को बोर्ड बैठक में एजेण्डा विन्दुओं के सापेक्ष पारित संकल्प प्रस्ताव आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)


अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर-7 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, मेरठ।
3. उप जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
4. प्रधान लिपिक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बोर्ड बैठक के पारित संकल्प की प्रति पालिका के सूचना पट पर चरपा व पालिका की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।


अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

श्रीमती सबीला बेगम,

- [illegible]

Shahid B

गया कि पूर्व मेला स्थल पर आबादी व मार्केट निर्माण होने के कारण मेला रोड पर मेले में आये दुकान लगाने के लिए दुकानदारों को प्रयाप्त जगह नहीं मिल पाती है तथा कुछ स्थानीय दुकानदारों द्वारा मेले में अपने प्रतिष्ठान लगाने के नाम पर पालिका से रसीद कटवाने के बाद उनको मेले में आये दुकानदारों को कहीं अधिक धनराशि में अनाधिकृत रूप से ऐसे दुकानदार द्वारा दुकान आवंटित कर दी जाती है तथा मेला क्षेत्र में श्री रामलीला कमेटी के परिसर में जिसमें पालिका द्वारा मेले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराये जाते हैं तथा झूले, खेल तमाशे, छोटा सर्कस आदि को भूमि आवंटन की जाती है, वर्तमान में उक्त परिसर में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य होने से जगह ओर कम होने पर उक्त परिसर में झूले, खेल तमाशे, छोटा सर्कस आदि को भूमि आवंटन करने पर मेले में पालिका द्वारा कार्यक्रम कराने हेतु आगुन्तको व दर्शको को बैठने की पर्याप्त जगह नहीं रह जाती है, उक्त को दृष्टिगत रखते हुए पुनः मेला स्थल पर चर्चा उपरांत मेला का आयोजन मंडी परिसर में कराने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। किन्तु श्री सुमित व श्रीमती पिकी सोम नामित सदस्य द्वारा मेला स्थल परम्परागतता के आधार पर गुजरान गेट से अशोक की लाट रोड पर रामलीला भवन परिसर में कार्यक्रम कराने हेतु प्रस्ताव रखा जिस पर आंशिक सहमति बनने के दौरान बैठक में उपस्थित श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि इस वर्ष श्री रामलीला कमेटी द्वारा श्री रामलीला परिसर की भूमि जिसका ठेका नगर पालिका द्वारा छोड़ा जाता है उसमें आने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत भुगतान श्री रामलीला कमेटी को पालिका द्वारा देना होगा, जिस पर पुनः अंतिम बार मा० विधायक जी द्वारा सदन के समक्ष स्पष्ट रूप से मेला स्थल चिन्हित कराने हेतु सदस्यों को स्पष्ट रूप से अपना मन्तव्य देने हेतु कहा गया। जिस पर सदन में पुनः चर्चा उपरान्त गत वर्ष के मेला स्थल पर दुकान आवंटन के लिए पर्याप्त जगह न होने व रामलीला भवन परिसर में भी काफी कम जगह होने व रामलीला मंच पर गत वर्षों में जुते चप्पलो को लेकर चढ़ने से विरोध आदि को दृष्टिगत रखते हुए मेला स्थल मंडी समिति परिसर को चिन्हित कर प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत प्रस्ताव के क्रम में मेला स्थल परिवर्तन के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित किये गये सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल मा० आयुक्त महोदय व जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उनसे मेला स्थल परिवर्तन की आवश्यकता को बताते हुए इस हेतु स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही करेगा का भी निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया तथा बोर्ड बैठक में उपस्थित श्री अतुल प्रधान जी मा० विधायक द्वारा कहा गया कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरधना एवं अध्यक्ष द्वारा नामित किये गये सदस्यों का एक प्रतिनिधि मण्डल मेला स्थल मण्डी परिसर में कराने हेतु प्रशासनिक स्तर पर वार्ता के लिए मिलने से पूर्व मुझे अवगत कराये ताकि उच्चाधिकारियों को उनके दूरभाष पर वार्ता करते हुए उनसे समय लेकर आपसे वार्ता करायी जा सके। इस हेतु समस्त कार्यवाही के लिए अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरधना को अधिकृत किया गया।

Shalika

इसके अतिरिक्त मेला के नाम परिवर्तन पर चर्चा के दौरान 16 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र सदन में रखा गया जिसमें 16 सदस्यों द्वारा मेला का नाम मेला बूढ़ा बाबू ही रखने का प्रस्ताव दिया गया, सदन में यदि इसके बाद भी मेले के नाम हेतु कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सरधना नगर में आपसी सौहार्द व भाईचारा बनाये रखने के लिए व नगर में किसी भी प्रकार का माहौल खराब न हो इसको दृष्टिगत रख श्री शहजाद व श्री इमरान सदस्य द्वारा पालिका प्रशासन को किसी भी वाद विवाद में न पड़ते हुए मेले का उद्घाटन तिथि पर मेला मंदिर में पूजा कराकर मेला उद्घाटन तिथि को ही मेला का समापन की घोषणा करते हुए मेला न भरवाया जाये जिस पर अधिकांश सदस्यों द्वारा सहमति बनी, किन्तु पुनः मेले की परम्परा को दृष्टिगत रखते हुए मेला स्थल परिवर्तन के स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार ही मेला मंडी परिसर में आयोजन को दृष्टिगत रख मेले के आयोजन हेतु मेला प्रारम्भ दिनांक 05.06.2026 से दिनांक 04.07.2026 तक अवधि निर्धारित की गयी।

उक्त के अतिरिक्त मेला स्थल पर वर्ष 2025 में व पूर्व वर्षों में श्री रामलीला कमेटी के परिसर के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वित्तीय वर्ष 2024-25 की ग्रहकर जलकर की माँग को समायोजित करने हेतु कहा गया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में होने वाले मेले वर्ष 2025 में श्री रामलीला भवन के प्रयोग हेतु अंकन 1,50,000/- धनराशि पालिका को देनी होगी से भी सदन को अवगत कराया गया तथा साथ ही साथ सदन को यह भी अवगत कराया गया कि श्री रामलीला कमेटी पर पालिका का देयक ग्रहकर, जलकर जोकि वर्ष 2020 व 2021 मेला आयोजन न होने पर है, उसकी वित्तीय वर्ष 2020-21 की ग्रहकर जलकर की देयता अंकन 2,02,235.20 व वित्तीय वर्ष 2021-22 की देयता अंकन 2,02,235.20 रुपये व वित्तीय वर्ष 2024-25 की ग्रहकर व जलकर की देयता अंकन 2,58,855.20 से इस प्रकार कुल धनराशि अंकन 6,63,325.60 रुपये पालिका की संबंधित पर देयता से है व श्री रामलीला कमेटी द्वारा पालिका को श्री रामलीला भवन के प्रयोग हेतु 75000/- रुपये प्रति वर्ष के आधार पर वर्ष 2024 तक अंकन 3,00,000/- रुपये की श्री रामलीला कमेटी की देयता है, जिस पर सदन में चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि पालिका की वित्तीय वर्ष 2024-25 तक ग्रहकर, जलकर की उपरोक्त माँग अंकन 6,63,325.60 की माँग में वित्तीय वर्ष 2024-25 की ग्रहकर जलकर की माँग को मेला बूढ़ा बाबू हेतु श्री रामलीला परिसर का प्रयोग पालिका द्वारा करने के कारण समायोजित करने उपरांत पालिका की अवशेष धनराशि अंकन 4,04,470.40 धनराशि में से श्री रामलीला कमेटी का पालिका द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि अंकन 3,00,000/- रुपये को पालिका के उपरोक्त देयक धनराशि में समायोजन उपरांत अंकन 1,04,470.40 पालिका की बकाया धनराशि के सापेक्ष की धनराशि को वर्ष 2025 में श्री रामलीला भवन के प्रयोग करने पर की गयी माँग अंकन 1,50,000/- रुपये के सापेक्ष अंकन 1,00,000/- रुपये वर्ष 2025 में श्री रामलीला भवन के प्रयोग

Shahid

हेतु शुल्क निर्धारित करते हुए पालिका की अवशेष देयक अंकन 1,04,470.40 धनराशि में श्री रामलीला भवन को देयक अंकन 1,00,000/-रुपये धनराशि समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि अंकन 4470.40 रुपये श्री रामलीला कमेटी से प्राप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए अंकन 4470.40/-रुपये की धनराशि रामलीला कमेटी से प्राप्त करते हुए श्री रामलीला कमेटी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का नो-ड्यूज निर्गत करने पर सहमति बनी तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 से स्वःकर के आधार पर ग्रहकर व जलकर को पालिका का देयक श्री रामलीला कमेटी व मेला अवधि में श्री रामलीला परिसर व भवन का उपयोग करने पर निर्धारित तत् समय समझौता वार्ता अनुसार शुल्क पालिका द्वारा श्री रामलीला भवन को उनको खातो में धनराशि अंतरित कराने पर सहमति बनी ।

बैठक में उपस्थित मा० विधायक श्री अतुल प्रधान द्वारा मेला बूढ़ा बाबू में मेले के शुभारम्भ पर यदि कोई अराजक तत्व गत वर्ष की तरह कोई मेले में पूजा-अर्चना पर अवरोध उत्पन्न करता है या मेला में कोई अराजकता फैलाने चाहते हैं तो पालिका प्रशासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाये का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मेले में अराजक तत्वों द्वारा मेला की गरिमा को कोई नुकसान अथवा अव्यवस्था व अन्य कोई कार्य विधि विपरीत करते हैं तो उनके विरुद्ध पालिका प्रशासन स्तर से कठोर विधिक कार्यवाही करने के लिए अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।

सदन में मेले के आयोजन पर मंडी परिसर में मेले के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए मंडी के गेट से बूढ़ा बाबू रोड तक व मंडी परिसर के गेट से दौराला रोड की ओर तक व अम्बेडकर द्वार तक व अन्य मेला स्थल पर विद्युत साज सज्जा कराने व मेला बूढ़ा बाबू व शहीद द्वार, अम्बेडकर द्वार, अशोक की लाट की रंगाई पुताई कराने के साथ-साथ मेले में कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रमों की विडियो ग्राफी कराने, निमंत्रण पत्र व फ्लैक्सी आदि व सी०सी०टी०वी० कैमरे अधिष्ठापन, साउण्ड व्यवस्था, टैण्टेज, बैरकेंटिंग, कैम्प निर्माण के साथ अन्य यथा आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए निविदा/कुटेशन आमंत्रित करने व गत वर्ष की निर्धारित दरो अनुसार ही दुकानदारों को दुकान आवंटित करने का निर्णय लेते हुए उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्व सम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 3 :-

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि के अन्तर्गत यूजर चार्ज निर्धारित करते हुए उपविधि तैयार करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।

सदन में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि के अन्तर्गत यूजर चार्ज निर्धारित करने व उपविधि तैयार करने हेतु आगामी बोर्ड बैठक में चर्चा करने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव संख्या 4 :-

अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से ।

Signature

प्रस्ताव संख्या 4 (1) :-

श्री मोहम्मद खालिद, सदस्य द्वारा दिये गये पत्र पर विचार एवं आदेश बोर्ड।

सदन के समक्ष श्री मोहम्मद खालिद सदस्य के लेटर हैड पर श्री मोहम्मद खालिद व श्री शानू सदस्य देवी मन्दिर पर पुलिया के निर्माण कार्य हेतु बिटुमिन से निर्माण की निविदा आमंत्रित की गयी थी, किन्तु उक्त निविदा में किसी भी ठेकेदार द्वारा भाग नहीं लिया गया, जिस कारण देवी मन्दिर की पुलिया का निर्माण नहीं हो पा रहा है उक्त पुलिया पर आये दिन एक्सीडेन्ट हो रहे हैं अतः बिटुमिन की जगह सी0सी0 रोड से निर्माण कार्य कराने हेतु मांग को सदन के समक्ष रखा गया। जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से चर्चा उपरान्त उक्त देवी मन्दिर पुलिया पर बिटुमिन के स्थान पर सी0सी0 रोड से रैम्प गिरवाने हेतु पालिका अवर अभियंता से आंगणन तैयार कराते हुए निविदा आमंत्रण की कार्यवाही के लिए अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (2) :-

सदस्यों द्वारा पूर्व में दिये गये प्रस्ताव व कार्य की आवश्यकतानुसार पालिका अवर अभियंता से तैयार कराये गये आंगणनों की स्वीकृति करते हुए कार्य कराने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।

नगर में विभिन्न विकास कार्य हेतु सदस्यों द्वारा पूर्व में दिये गये प्रस्ताव व जनता आदि की मांग पर पालिका अवर अभियंता से तैयार आंगणनों सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आंगणन धनराशि
1	वार्ड 1 कर्मवीर के मकान से तरुण के मकान तक व रोहताश वाली गली में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	353150
2	वार्ड 8 आस्था के मकान से देवेन्द्र रुहेला की चक्की तक व साईड गलियों में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	355414
3	वार्ड 1 महेन्द्र सेनी के मकान से अनिल चौधरी (नाला साईड पटरी) के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	397450
4	वार्ड 8 काजियों वाली मस्जिद से हाजी असलम के मकान तक व साईड गलियों में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	166755
5	वार्ड 16 पप्पू नाई की दुकान से राजेश चक्की वाले तक सी0सी0 रोड का निर्माण व नाली मरम्मत का कार्य।	499207
6	मौहल्ला भूलरिया में निर्मित 45 दुकानों के शटर अधिष्ठापन, पेन्टिंग आदि का कार्य	1699717

सदन में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत धनराशि की अनुपलब्धता के कारण बहुत ही कम कार्य हुए हैं किन्तु वर्तमान में पालिका द्वारा ग्रहण व जलकर एवं अन्य मदों से पालिका निधि में काफी वसूली होने के कारण व राज्य वित्त आयोग से भी धनराशि उपलब्ध होगी जिसको दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्राप्त धनराशि व आगामी माहों में पालिका निधि में पालिका करों से वसूली होने व राज्य वित्त आयोग से धनराशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में तुरन्त निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाये। उक्त निर्माण कार्यों के अतिरिक्त वार्ड सदस्यों द्वारा कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है तो ऐसे कार्यों को पालिका अवर अभियंता से आंगणन बनवाते हुए कार्य कराने

Shabir

	की कार्यवाही शीघ्र अति शीघ्र की जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 4 (3) :- 05 नामित सदस्यों एवं 01 नव-निर्वाचित सदस्य के साईन बोर्ड अधिष्ठापन कराने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन के समक्ष 05 नामित सदस्यों एवं 01 नव-निर्वाचित सदस्य के साईन बोर्ड बनवाकर अधिष्ठापन कराने हेतु चर्चा की गयी है। चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अवर अभियंता से उक्तानुसार 06 सदस्यों के साईन बोर्ड का आंगणन तैयार कराते हुए उसकी निविदा आमंत्रण कर समस्त औचारिकताएं पूर्ण करने हेतु अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 4 (4) :- ठेका विज्ञापन हेतु गत वर्ष की सरकारी बोली को अंकन 50,000 रु० किये जाने के अनुमोदन पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगर पालिका परिषद सरधना के वार्षिक ठेकेजातों में ठेका विज्ञापन में गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित सरकारी बोली अंकन 1,50,000 रु० के सापेक्ष ठेका छोड़ने की कार्यवाही की गयी थी, किन्तु उक्त ठेके की बार-बार नीलामी की कार्यवाही करने के दौरान किसी भी नीलामीदाता द्वारा इसमें प्रतिभाग नहीं किया गया था इसी प्रकार गत वित्तीय वर्षों में भी उक्त ठेके की सरकारी बोली अधिक निर्धारण होने के कारण उक्त ठेका बार-बार नीलामी के बाद भी नहीं हो पा रहा है, जिससे पालिका को वित्तीय हानि हो रही है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ठेका विज्ञापन हेतु पूर्व में निर्धारित सरकारी बोली के स्थान पर अंकन 50,000 रु० सरकारी बोली बोर्ड बैठक में स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्धारित करते हुए अन्य ठेकों के साथ-साथ उक्त ठेकों की नीलामी का विज्ञापन भी विज्ञापित कराया गया है। तदनुसार बोर्ड से पूर्व निर्धारित सरकारी बोली के स्थान पर अंकन 50,000 रु० निर्धारित सरकारी बोली का अनुमोदन सदन से चाहा गया, जिस पर सदन द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व निर्धारित सरकारी बोली के सापेक्ष बार-बार नीलामी की कार्यवाही गत वर्षों में करने के बाद भी ठेका विज्ञापन में किसी भी प्रतिभागी द्वारा प्रतिभाग न करने के कारण उक्त निर्धारित सरकारी बोली का अनुमोदन/स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान करते हुए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 4 (5) :- वार्ड सदस्यों द्वारा अपने-अपने वार्ड में विकास कार्य हेतु दिये गये प्रस्ताव पत्रों पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में वार्ड सदस्यों द्वारा अपने अपने वार्ड में दिये गये प्रस्ताव में उल्लिखित विकासात्मक कार्यों के प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा गया। श्री मुकेश, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव 1. सुदेश के मकान से लेकर रेखा मैडिकल स्टोर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य कराया जाये। 2. वार्ड 4 मौहल्ला भाटवाडा में तालाब की भूमि की चारदीवारी व सौन्दर्यीकरण कराया जाये। 3. श्री चन्द्र के मकान से राकेश सैनी के मकान तक आर०सी०सी० रोड का निर्माण कार्य कराया जाये।

Shahid B.

4. मदन के मकान से अभी सैनी के मकान तक सी0सी0 रोड बनाया जाये।
5. लाला महेन्द्र व मोहित आदि की गली का निर्माण कराया जाये।
6. चिन्टू के मकान से हकीम पदम सैन जैन तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराया जाये।
7. वार्ड 4 में फिज की व्यवस्था करायी जाये।
8. वार्ड 4 में बालाजी मन्दिर से लेकर कच्चा नाला सुदेश एडवोकेट के मकान तक पक्का बनवाकर कवर कराया जाये।

श्री शकील, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव

1. प्रभातनगर मैन सड़क व गलियों बनवायी जाये।
2. मनोज जैन से कैलाशी जैन तक गलियां बनवायी जाये।
3. पंकज जैन वाली गली बनवायी जाये।
4. डा0 बालेश्वर त्यागी से अली शाह तक सड़क व नाली बनवायी जाये।
5. कोठी वाली सड़क बनवायी जाये।
6. जगदीश पंसारी से पंकज जैन फर्नीचर वालों तक सड़क व नाली बनवायी जाये।
7. सिराज केक वाली गली की नालियां बनवायी जाये।
8. राकेश पटवारी व नई वाली गली बनवायी जाये।
9. मेरी दुकान के बराबर वाली गली बनवायी जाये।
10. पूरे वार्ड में लाईटें लगवायी जाये।

श्रीमती दानिस्ता, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव

1. इलम के मकान वाली कालोनी में नई टाईल लगवायी जाये।
2. इस्लाम के मकान से प्रवीण के मकान तक टाईल व नाली निर्माण कराया जाये।
3. इकबाल के मकान से छोटी मस्जिद तक साईड गलियो रिपेयर की जाये।
4. आसू के मकान से नफीस के मकान तक टाईल निर्माण कराया जाये।
5. नेशनल पब्लिक स्कूल के पीछे वाली गली की रिपेयर करायी जाये।
6. केशोराम वाली कालोनी में टाईल व नाली बनवायी जाये।
7. अब्दुल हक के मकान के सामने टाईल व नाली निर्माण कराया जाये।
8. अली हसन के मकान से अ0 अजीज तक आर0सी0सी व नाली निर्माण कराया जाये।
9. ऐमी शाह के मकान से एनूदीन के मकान तक आर0सी0 निर्माण कार्य कराया जाये।
10. तीन वाटर कूलर लगवाये जाये।
11. यामीन के मकान से जहीर के मकान तक सड़क रिपेयर कराया जाये।

Shakil

12. इकराग के मकान से बाबू के मकान तक सड़क रिपेयर करायी जाये।
13. शौकीन के मकान से दीनू के मकान तक सड़क व नाली रिपेयर कार्य व कालन्द चुंगी पर सब्जी वाली गली में आर०सी०सी० सड़क निर्माण कराया जाये।

श्रीमती शायदा उर्फ शाहिदा, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव

1. मौ० उमर के मकान से इमरान मलिक के मकान तक सड़क व नाली निर्माण कराया जाये।
2. फय्याज के मकान से अय्यूब के मकान तक सड़क व नाली बनवायी जाये।
3. बाबू मलिक से यामीन की चक्की वालों तक सड़क व नाली बनवायी जाये।
4. कमल सिंह के मकान से लेकर धनपाल जैन की फैक्टरी तक सीसी सड़क बनवायी जाये।

श्रीमती समीना, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव

1. बी०आर०सी० स्कूल के मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाए।
2. नई बस्ती में पूर्व सदस्य साकिर के सामने कच्ची सड़क पर नाली एवं सड़क का निर्माण कार्य कराया जाए।
3. नई बस्ती में मस्जिद के सामने वाली सड़क, मस्जिद के कोने से अकरम की फैक्ट्री तथा वहां से झिटकारी रोड तक सड़क निर्माण कार्य कराया जाए।
4. बी०आर०सी० स्कूल के पीछे, स्कूल की दीवार के कोने से सूफियान के मकान तक उत्तव का निर्माण कराया जाए।
5. तिरंगा एवं यात्री शेड की नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
6. सेंट चार्ल्स ग्राउंड, जहां मेला, मतदान एवं अन्य सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहां
7. शौचालय (टॉयलेट) का निर्माण कराया जाए।
8. पुलिस चौकी के आसपास नियमित फॉगिंग/स्वच्छता (मच्छर नियंत्रण) की व्यवस्था कराई जाए।
9. सेंट चार्ल्स से कालंद चुंगी तक साइड पटरी (फुटपाथ) का निर्माण कराया जाए।
10. घोसियान वाली गली में तत्काल पुख्ता पुलिया का निर्माण कराया जाए।
11. घोसियान रहिश के मकान होते हुए सेंट चार्ल्स स्कूल तक सड़क का ऊंचीकरण कराया जाए।
12. मानी के घर के सामने पुलिया का निर्माण कराया जाए जिससे जल भराव न हो।

श्री सलीम, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव

1. साजिद कैराना वालों की दुकान के पास चैनल सही कराया जाये।
2. भटियारी सराय में पेड़ के सामने, हाजी शादाव के घर के सामने दूसरा चैनल इकबाल आदती के घर के आगे सही कराया जाये।

Shahid B

3. हाजी इस्लाम की दुकान के आगे कस्सावान में चैनल सही कराया जाये।
4. कस्सावान में टूटी सड़कें व नालियों का निर्माण कराया जाये।

श्री मन्नान, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव

1. मेरे वार्ड में एक नया समरसेबिल लगवाया जाये।

श्रीमती पिकी सोम नामित सदस्य विकास कार्य हेतु दिये गये प्रस्ताव

- 1 - आने वाली बरसात से पहले नालो की सफाई कराई जाये ताकी नगर में जल भराव से निजात मिले।

उक्त प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिशासी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में पालिका में राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु पूर्व में दिये गये प्रस्तावों के क्रम में व जनता की मांग अनुसार कार्य कराने हेतु पालिका अवर अभियंता से आंगणन बनवाये गये है, जिस पर उक्त बोर्ड बैठक में पूर्व में चर्चा हो चुकी है सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित किये गये निर्माण कार्य जिसमें कुछ कार्य उपरोक्तानुसार आंगणन में सम्मिलित है के अतिरिक्त यदि कोई कार्य कराना आवश्यक है तो पालिका अवर अभियंता से उसकी जांच कराकर निर्माण कार्य कराने की कार्यवाही तत्समय की जायेगी, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए सदन में चर्चा उपरान्त सहमति बनी कि नगर में यदि कहीं भी सड़क में कोई गडढा अथवा कोई नाली/नाला अथवा पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होती है या पेयजलापूर्ति में समरसेबिल अथवा कोई समरसेबिल पम्प, पैनल व पालिका के वाहन/सयन्त्र आदि खराब होता है या किसी कीटनाशक दवा आदि व कली चूना, सोडियम हाईपोक्लोराईड अथवा पेजयल सामग्री अथवा पेयजल की सुचारुता हेतु टैंक आदि की सफाई का कार्य आदि की आवश्यकता होती है तो ऐसे अति आवश्यक कार्यों को चिन्हित करते हुए उन्हें करा लिया जाये। उपरोक्त अन्य कार्यों पर कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए समा समाप्त की गयी।

Shelika
अध्यक्ष,

नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)